

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तराखंड राज्य मे पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में उत्तराखंड राज्य मे पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया । भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासनादेश दिनांक 24.06.2010 मे स्पष्ट व्यवस्था है कि यह लाभ केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कि लिए ही अनुमत्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों के लिए नहीं । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 01.05.2012 एवं 23.05.2012 द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं उत्तराखंड राज्य मे कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को विकल्प के आधार पर इच्छित राज्य आवंटन की सुविधा प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः समिति द्वारा यह स्पष्टीकरण संज्ञान में लेते हुए प्रत्यावेदनों को निरस्त किए जाने कि संस्तुति की गई ।

2 भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार उत्तराखंड राज्य मे पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों को निरस्त किया जाता है तथा यह कार्मिक उत्तराखंड में बने रहेंगे ।

कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निगम अनुभाग
Receipt & Issued Section

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाए।

26 JUN 2013 41P

जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि:-

o/c

भवदीय,
(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।